न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय(पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या–1, गाजियाबाद।

उपस्थित : सौरभ गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. CODE– UP.2757

सत्र परीक्षण संख्या– 592/2023

CNR NO: UPGZ01003416/2023

कम्प्यूटर रजि० नं०– 2702/23

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

(1) अजय चौधरी पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम निजामपुर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद

(2) गौरव पुत्र सुरेन्द्र कुमार नि० निजामपुर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद

(3) शुभम पुत्र कृष्णपाल नि० ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद

(4) सेन्सरपाल पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी कृष्णानगर मोदीनगर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद

(5) प्रेमवीर सिंह पुत्र महावीर ग्राम जलालाबाद, मुरादनगर, गाजियाबाद

(6) अंकित उर्फ कालू पुत्र ओमपाल सिंह नि० ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद

(7) चमन सिंह पुत्र शीशपाल सिंह नि० ग्राम निजामपुर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद

(8) रोबिन पुत्र किशनपाल नि० ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद

मुकदमा अपराध संख्या 711/2022

धारा– 147,148,307,504,506,427 भा०द०सं०,

थाना– मोदीनगर, गाजियाबाद।

निर्णय दिनांक–19.03.2026

उपस्थित–

1–अभियोजन की ओर से– श्री संजीव कुमार, सहायक लोक अभियोजक

2–बचाव पक्ष/अभियुक्तगण की ओर से–श्री सागिर अली ,एड0

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण संख्या **592/2023,** अभियुक्तगण अजय चौधरी, गौरव, शुभम,

सेन्सरपाल, प्रेमवीर सिंह, अंकित उर्फ कालू, चमन सिंह एवं रोबिन के विरुद्ध थाना–मोदीनगर, गाजियाबाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 711/2022 अंतर्गत धारा 147, 148, 307, 427, 504, 506 भा०दं०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए न्यायालय में प्रेषित आरोप पत्र पर इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

2. अभियोजन कथानक इस प्रकार है–वादी मुकदमा मुनेश कंसल पुत्र राम किशोर कंसल, निवासी सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर ने थाना अध्यक्ष, कोतवाली मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद को सम्बोधित तहरीर (प्रदर्श क–1) इस आशय की प्रस्तुत की, कि सुबह 8:00 बजे सीकरी रोड़, फाटक पर अपनी दुकान पर बैठा था तभी चमन सिंह पुत्र शीशपाल सिंह 15–20 आदमियों को भेजकर मेरी दुकान पर आये तथा मेरे साथ मार–पीट शुरू कर दी एवं मेरी दुकान का सारा सामान तोड़–फोड़ कर बाहर फेंकने लगे, मेरे मना करने पर मुझे गन्दी–गन्दी गाली दी एवं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके मुझे जान से मारने की धमकी दी। इनके हाथ में लाठी–डंडे एवं देशी कट्टे–पिस्टल भी थे, जिसमें कुछ लोगों ने फ़ायरिंग की एवं मुझे जान से मारने का प्रयास किया तथा जाते समय धमकी देकर गये कि यदि किसी से कहा या थाने में गया तो अभी तो बच गया, आगे तुझे बिल्कुल जिंदा नहीं छोडेंगे। रिपोर्ट दर्ज कर मेरी जान–माल की रक्षा करें तथा कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. वादी मुकदमा मुनेश कंसल की इस तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर अभियुक्त चमन सिंह तथा 10–15 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दिनांक 25.10.2022 को समय 12:54 बजे चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क–3 किता की जाकर मु.अ.स. 711/2022 अन्तर्गत धारा– 147, 148, 307, 504, 506, 427 भा०दं०सं० पंजीकृत किया गया, जिसका खुलासा रोजनामचा आम जी.डी. मे किया गया। मामले की विवेचना महेन्द्र पाल सिंह को सुपुर्द की गयी।

4. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना बयान वादी मुकदमा बयान चिक एफ.आर कायमी, जी.डी. कायमी के अंकित किये गये। वादी मुकदमा की निशानदेही पर नक्शा नजरी प्रदर्श क–5 तैयार किया गया। वादी मुकदमा एवं गवाहन के बयान एवं अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण नि० ग्राम खंजरपुर के विरूद्ध विवेचना पूर्ण कर धारा– 147, 148, 307, 504, 506, 427 भा.दं.सं. का अपराध होना पाये जाने पर, आरोप–पत्र प्रदर्श क–2 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. आरोप–पत्र पर दिनांक 15.04.2023 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०– 5 गाजियाबाद द्वारा अभियुक्तगण अजय चौधरी, गौरव, शुभम, सेन्सरपाल, प्रेमवीर सिंह, अंकित उर्फ कालू, चमन सिंह एवं रोबिन के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया गया तथा न्यायालय में यह मामला दाण्डिक वाद संख्या 592/2023 के रूप में दर्ज हुआ।

6. तदोपरान्त अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के

कारण वाद सं० 2714/2023 सरकार बनाम अजय चौधरी आदि की पत्रावली दिनांक 11.08.2023 के आदेश द्वारा सेशन सुपुर्द की गयी।

7. अभियुक्तगण अजय चौधरी, गौरव, शुभम, सेन्सरपाल, प्रेमवीर सिंह, अंकित उर्फ कालू, चमन सिंह एवं रोबिन के विरूद्ध अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा धारा- 147, 148, 307, 504, 506, 427 भा०दं०सं० के अंतर्गत दिनांक 08.11.2023 को आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने सुनकर व समझकर आरोपों से इन्कार किया व परीक्षण की मांग की। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध परीक्षण प्रारम्भ हुआ।

8. अभियोजन की तरफ से पी०डब्ल्यू० 1 के रूप में वादी मुकदमा मुनेश कंसल, पी०डब्लू० 2 रिंकू कंसल व पी०डब्लू० 3 पंकज कंसल को परीक्षित कराया गया है। इसके पश्चात बचाव पक्ष द्वारा तहरीर प्रर्दश क-1, चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क-3 , आरोप-पत्र प्रदर्श क-2, नक्शा नजरी प्रदर्श क-4, चिकित्सीय प्रपत्र प्रदर्श क 5, गिरफ्तारी सूचना प्रपत्र प्रदर्श क-6 व प्रदर्श क-7 की औपचारिक सत्यता स्वीकार कर ली गयी। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी ।

9. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए गएः-

क्र०	दस्तावेज का नाम	प्रदर्शकर्ता/साबित कर्ता का नाम	प्रदर्श सं.
1	तहरीर	पी.डव्लू.1 वादी मुकदमा	प्रदर्श क-1
2	चिक एफ.आई.आर	अन्तर्गत धारा-294 द.प्र.सं.	प्रदर्श क-3
3	आरोपपत्र	अन्तर्गत धारा-294 द.प्र.सं.	प्रदर्श क-2
4	नक्शा नजरी	अन्तर्गत धारा-294 द.प्र.सं.	प्रदर्श क 4
5	चिकित्सीय प्रपत्र	अन्तर्गत धारा-294 द.प्र.सं.	प्रदर्श क 5
6	गिरफ्तारी सूचना प्रपत्र	अन्तर्गत धारा-294 द.प्र.सं.	प्रदर्श क 6 व 7

10. अभियुक्तगण का बयान अं०धारा० 313 दं.प्र.सं. अंकित किया गया। अभियुक्तगण अंकित, चमन सिंह, अजय चौधरी, सेन्सरपाल, गौरव चौधरी, प्रेमवीर सिंह, रोबिन एवं शुभम ने अपने बयान धारा 313 दं.प्र.सं. में अभियोजन कथानक एवं आरोपों को गलत बताया। मुकदमा झूठा चलना कहा है तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया।

11- अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन का आरोप है कि दिनांक 25.10.2022 को समय 08:00 प्रातः स्थान सीकरी रोड फाटक स्थित वादी की दुकान अंतर्गत सीमा थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद में अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव कर वादी की दुकान में घुसकर दुकान में रखा सामान तोडने-फोड़ने तथा वादी से मारपीट करने के लिए अवैध

समूह का निर्माण कर लाठी, डंडे एवं देसी कट्टे पिस्टल जैसे घातक आयुध से वादी पर फायरिंग कर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी गयी।

12– **अभियोजन साक्ष्य–**

अभियोजन पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में निम्न अभियोजन साक्षी परीक्षित कराये गये हैं–

(I) **साक्षी पी.डब्लू.–1 वादी मुकदमा मुनेश कंसल** ने अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि घटना 26.09.2022 समय सुबह 8 बजे की थी। मैं दुकान पर आया था, मेरी दुकान पर उस दिन 15–20 से ज्यादा लोग आ गये थे। उनके द्वारा मेरे साथ मारपीट की गयी थी तथा मेरी दुकान में तोड–फोड की। मेरे हाथ में मामूली चोट आ गयी थी। मैंने उनसे पूछा की क्या बात हुई, क्यों तोड–फोड कर रहे हो और मैं तभी बेहोश हो गया था। उन लोगों के हाथ में डंडे व कट्टे भी होंगे लेकिन मैं देख नहीं पाया था। वहां काफी भीड इक्ट्ठा हो गयी थी और फिर मुझे थाने ले गये थे। भीड में से किसी ने कोई प्रार्थना पत्र थाने में दिया था, जो मुझे पढ़कर नहीं सुनाया था। मेरे प्रार्थना पत्र पर केवल हस्ताक्षर कराये थे। प्रार्थना पत्र किसने लिखा था, मुझे उसका ध्यान नहीं है। पत्रावली पर दाखिल कागज संख्या–3 तहरीर को देखकर कहा कि इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इस पर मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। इस तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया। यह तहरीर मुझे लिखने वाले ने पढकर नहीं सुनायी थी। मैं चमन को जानता हूँ। चमन मेरा दुकान मालिक था। घटना वाले दिन चमन साथ में नहीं आया था। मैं चमन व अजय को जानता हूँ। इन लोगों ने कोई मारपीट तोड–फोड, गाली–गलोच व जाति सूचक शब्द नहीं कहे थे और न ही मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और न ही इन लोगों ने कोई फायरिंग की थी। इस स्तर पर गवाह को अभियोजन का समर्थन न करने के कारण पक्षद्रोही घो–षित किया गया।

अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी। जिरह में साक्षी ने कहा कि इस घटना के संबंध में मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। गवाह को उसका 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढकर सुनाया गया, तो गवाह ने कहा मैंने ऐसा कोई बयान पुलिस को नहीं दिया, यदि पुलिस ने लिखा है, तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यदि पुसिल ने यह लिखा है कि "आज दिनांक 25.10.2022 को मैं............मुझे बिल्कुल जिंदा नहीं छोडूंगा।" यदि पुलिस ने मेरे बयान में यह लिखा है, तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि घटना वाले दिन मैं दुकान पर न बैठा हूँ। यह कहना भी गलत है कि चमन सिंह 15–20 आदमियों के साथ मेरी दुकान पर आये हों और मेरे साथ मारपीट, गाली–गलौच और जाति सूचक शब्द कहे हों। यह भी कहना गलत है कि मेरी दुकान पर तोड–फोड और मेरे साथ मार–पीट की हो। यह कहना भी गलत है कि दुकान पर लाठी–डंडे व पि–स्टल से फायरिंग की हो।

अभियुक्त द्वारा जिरह करने पर साक्षी द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण अजय चौधरी, गौरव, शुभम, सेन्सरपाल, प्रेमवीर, अंकित उर्फ कालू, चमन सिंह, रोबिन ने मेरे साथ कोई गाली–गलौच, मारपीट नहीं की है और न ही मुझे जान से मारने की धमकी दी है और न ही कोई हवाई फाय–रिंग की है और न ही कोई दुकान में तोड–फोड की है। जहां दुकान है, वहां दिन में दुकान के पास रेलवे

फाटक है, काफी लोगों की भीड–भाड़ होती है और आवागमन भीड का आना–जाना लगा रहता है। (मैं वैश्य जाति से संबंध रखता हूँ। मैं एस.सी./एस.टी. में नहीं आता। जहां झगडा हुआ, मैं वहां किराने की दुकान करता हूँ। मैं चमन सिंह का किरायदार हूँ। मैं 30–35 वर्षों से किरायेदार हूँ। मैं 1200/– रूपये प्रतिमाह किराये पर हूँ और ज्यादा किराया 2000–2500/– रूपये का है। चमन सिंह ने खा–ली करने के लिए नहीं बोला, यह बात तो अभी हुई। किराया चमन सिंह को देता हूँ। यह 15–20 लोग आ गये और मुझे चोट मारी, मैं बेहोश गया। भीड में से कुछ लोग मुझे थाने ले गये फिर मैं अस्पताल गया, वहां होश आया। मुझे कहीं पर चोट लगी थी और कहीं नहीं लगी। कंधे पर गुम–चोट थी। मुझे घुसे भी और डंडे भी मारे हैं। चमन सिंह के अलावा और किसी को मैं नहीं पहचानता।)

उक्त साक्षी प्रकरण का वादी मुकदमा है, उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य मे अभियोजन कथानक के विरोधाभासी साक्ष्य प्रस्तुत की है, जिसके कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है।

(II) साक्षी पी.डब्लू.–2 रिंकू कंसल ने अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि मुनेश कंसल मेरे चाचा लगते हैं। मेरी दुकान चाचा की दुकान के सामने है। मेरी दुकान पर मैं और मेरे पिताजी स्व. जय–भगवान बैठते हैं। दिनांक 25.10.2022 को समय सुबह 8 बजे मैं अपने घर पर मौजूद था और दुकान पर मेरे पिता जयभगवान बैठे हुए थे। मेरे सामने चमन चौधरी, अजय चौधरी, प्रेमवीर, कालू व अज्ञात लोगों ने मेरे चाचा मुनेश कंसल के साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही कोई फायर किया था और न ही दुकान खाली करने को कहा था। मैं उक्त अभियुक्तगण को नहीं जानता हूँ। पुलिस ने मुझसे कोई पू–छताछ नहीं की थी। इस स्तर पर गवाह को अभियोजन का समर्थन न करने के कारण पक्षद्रोही घोषित किया गया।

अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी। जिरह में साक्षी ने कहा कि गवाह को उसका 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढकर सुनाया गया, तो गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान किसी पुलिस वाले को नहीं दिया। यदि मेरे बयान में यह लिखा है कि "आज दिनांक 25.10.2022 को समय करीब 8 बजे.......मेरे भाई ने इन लोगों के खिलाफ थाने पर तहरीर देकर मुकदमा लिखवाया था।" यही मेरा बयान है, लिखा है, तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैं दि–नांक 25.10.2022 को सुबह 8 बजे अपने पिता जयभगवान के साथ उपस्थित रहा हूँ और घर पर न रहा हूँ। यह कहना भी गलत है कि मेरे सामने चमन चौधरी, अजय चौधरी, प्रेमवीर एवं कालू ने मेरे चाचा मुनेश कंसल के साथ लाठी–डंडों से मारपीट की हो। यह कहना भी गलत है कि चमन, अजय चौधरी, प्रेमवीर व कालू के हाथ में तमंचे थे और उन्होंने तमंचों से फायर किए थे। यह कहना भी गलत है कि मेरे सामने विशाल मेरे पास आया था और दुकान के अंदर सामान रखने के लिए मना करने लगा था। यह कहना भी गलत है कि विशाल ने दुकान खाली करने की धमकी दी थी।

अभियुक्त द्वारा जिरह करने पर साक्षी में कथन किया कि मेरे पिताजी जय भगवान की दिनांक 26.10.2025 को मृत्यु हो चुकी है, जो इस मुकदमे में गवाह भी थे। यह कहना सही है कि मेरे सामने अभियुक्तगण ने मेरे चाचा मुनेश कंसल के साथ न तो कोई मारपीट की, न कोई गाली–गलौच की, न ही जान से मारने की धमकी दी और न ही दुकान में कोई तोड़–फोड़ की और न ही कोई हवाई फायर किया था।

(III) साक्षी पी.डब्लू.–3 पंकज कंसल ने अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 25.10.2022 को सुबह करीब 8:00 बजे मैं अपने घर पर था। मुझे नहीं पता कि मेरा भतीजा रिंकू एवं उसके पिता जय भगवान दुकान पर बैठे थे या नहीं। उस दिन मैं अपने ताऊ के लड़के मुनेश कंसल की दुकान पर नहीं गया था। न ही मेरे सामने किसी भी व्यक्ति ने मुनेश पर कोई फायर किया था, न ही मारपीट की थी, न ही दुकान में कोई तोड़फोड़ की थी और न ही मुनेश को जान से मारने की धमकी दी थी। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी। जिरह में साक्षी ने कहा कि घटना के संबंध में कि–सी पुलिस वाले ने मेरे कोई बयान नहीं लिए थे। गवाह को उसका धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाया गया, तो गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान किसी पुलिस वाले को नहीं दि–या। यदि मेरे बयान में यह लिखा है, तो मैं उसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैं घटना वाले दिन मुनेश की दुकान पर मौजूद रहा हूँ और मैंने मुनेश पर फायर व मारपीट होते देखी हो। यह कहना भी गलत है कि घटना वाले दिन उस समय मैं अपने घर पर उपस्थित नहीं था।

अभियुक्त द्वारा जिरह करने पर साक्षी में कथन किया कि जय भगवान पुत्र रामकिशोर अग्रवाल मेरे ताऊ का लड़का था, जिसकी मृत्यु दिनांक 26.10.2025 को हो चुकी है। यह कहना सही है कि मैं इस केस के अभियुक्तगण को जानता व पहचानता हूँ। यह कहना भी सही है कि मेरे ताऊ रामकिशोर अग्रवाल के लड़के मुनेश कंसल को कोई भी फायर की चोट नहीं आई थी।

अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्षी पेश नहीं किया गया है।

13– न्यायालय द्वारा विद्वान सहायक लोक अभियोजक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुनेः–

13(i) विद्वान सहायक लोक अभियोजक की ओर से तर्क किया गया है कि दिनांक 25.10.2022 को सुबह 8:00 बजे सीकरी रोड़, फाटक पर अभियुक्त चमन सिंह पुत्र शीशपाल सिंह 15–20 व्यक्तियों को लेकर वादी की दुकान पर आकर मारपीट व गाली–गलौच की एवं दुकान के सामान के साथ तोड़–फोड़ की एवं वादी से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके जान से मारने की धमकी दी। उपरोक्त व्यक्तियों के हाथ में हाथ में लाठी–डंडे एवं देसी कट्टे–पिस्टल भी थे, जिसमें कुछ लोगों ने फ़ायरिंग की एवं वादी को जान से मारने का प्रयास किया तथा जाते समय जिंदा नहीं छोड़ने की धमकी दी, जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा ने तहरीर लिखायी है व तहरीर प्रदर्श क–1 के रूप में साबित की है।

(ii) आरोप–पत्र, चिक एफ.आई.आर., नक्शा नजरी, अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता अभियुक्त पक्ष की ओर से स्वीकार कर ली गयी है। अतः अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप पूर्णतया युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किये गये हैं। अतः अभियुक्तगण को दोष सिद्ध कर दण्डित किया जाये।

14– अभियुक्तगण की तरफ से विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिया गया है कि –

(i) अभियोजन के मुख्य साक्षी पी.डब्लू.–1, पी.डब्लू.–2 एवं पी.डब्लू.–3 में से किसी भी साक्षी

ने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट, गाली–गलौच, तोड़फोड़, फायरिंग या जान से मारने की धमकी दिए जाने की पुष्टि नहीं की, बल्कि स्पष्ट रूप से इन घटनाओं से इनकार किया है। साक्षियों ने पुलिस के समक्ष दिए गए कथित बयानों से भी इंकार किया है, जिससे अभियोजन का आरोप संदेहास्पद एवं अविश्वसनीय हो जाता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियुक्तगण की संलिप्तता प्रकरण में किसी प्रकार साबित नहीं होती है।

(ii) औपचारिक प्रपत्रों को स्वीकार कर लिये जाने मात्र से अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण की दोषिता साबित होती हो। अभियुक्तगण को गलत पुलिस विवेचना के परिणामस्वरूप झूठा फँसाया गया है।

(iii) पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से अभियोजन कथानक साबित नहीं है। अभियुक्तगण की अपराध में कोई संलिप्तता नहीं है, न ही अपराध के विरूद्ध साबित किया गया है, न ही अभियुक्तगण के विरूद्ध स्वयं पीड़ित ने अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य दिया है। अतः विधि के स्थापित सिद्धांत के अनुसार संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए और उन्हें आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

15– उभयपक्ष के तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजीय एवं मौखिक साक्ष्य के आलोक में निम्न अवधार्य विन्दु निर्मित किये–

(I) क्या दिनांक 25.10.2022 को समय प्रातः 8:00 बजे अभियुक्तगण द्वारा वादी की दुकान पर आकर उसके साथ मारपीट की गयी, दुकान में तोड़–फोड़ की गयी, फायरिंग की गयी तथा गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी गयी?

<u>साक्ष्य का मूल्यांकन, विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

<u>16–निस्तारण अवधार्य विन्दु सं०– 1</u>

प्रमुख विचारणीय बिंदु यह है कि क्या दिनांक 25.10.2022 को समय प्रातः 8:00 बजे अभियुक्तगण द्वारा वादी की दुकान पर आकर मारपीट, तोड़–फोड़, फायरिंग तथा गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी गयी?

<u>पी०डब्लू०– 1 का विश्लेषण</u>

प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 मुनेश कंसल ने अपने सशपथ बयान में प्रारम्भ में घटना का उल्लेख किया, परंतु आगे चलकर उसने स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार की मारपीट, गाली–गलौच, तोड़–फोड़, फायरिंग अथवा जान से मारने की धमकी देने से इंकार किया। साक्षी ने यह भी कहा कि प्रार्थना पत्र उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया तथा पुलिस द्वारा उसका कोई विधिवत बयान नहीं लिया गया।

साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया, किन्तु जिरह में भी अभियोजन पक्ष उससे अपने कथन की पुष्टि नहीं करा सका। बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर साक्षी ने स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण को निर्दोष

बताया तथा घटना के संबंध में अभियोजन कथानक का खंडन किया।

अतः पी०डब्लू०–1 का साक्ष्य अभियोजन के समर्थन में न होकर उसके विपरीत है।

पी० डब्लू०–2 का विश्लेषण

पी०डब्लू०–2 रिंकू कंसल ने अपने सशपथ बयान में स्पष्ट कहा कि घटना के समय वह अपने घर पर मौजूद था तथा उसके सामने अभियुक्तगण द्वारा न तो कोई मारपीट की गयी, न फायरिंग की गयी और न ही कोई धमकी दी गयी।

साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। साक्षी ने पुलिस को किसी प्रकार का बयान देने से भी इंकार किया तथा अभियोजन कथानक का पूर्णतः खंडन किया। जिरह में भी उसने यह स्वीकार नहीं किया कि अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित किया गया था।

बचाव पक्ष द्वारा जिरह में भी साक्षी अपने कथन पर अडिग रहा और स्पष्ट रूप से कहा कि अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी।

अतः पी०डब्लू०–2 का साक्ष्य भी अभियोजन के विपरीत है।

पी० डब्लू०–3 का विश्लेषण

पी०डब्लू० 3 पंकज कंसल ने अपने सशपथ बयान में कहा कि घटना के समय वह अपने घर पर था और उसने किसी प्रकार की घटना होते नहीं देखी। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके सामने न तो कोई फायरिंग हुई, न मारपीट, न तोड़–फोड़ और न ही कोई धमकी दी गयी।

साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। साक्षी ने पुलिस को कोई बयान देने से इंकार किया तथा अभियोजन के कथानक का खंडन किया। जिरह में भी अभियोजन पक्ष उससे कोई महत्वपूर्ण तथ्य स्थापित नहीं कर सका।

बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर भी साक्षी ने अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी प्रकार की संलिप्तता से इंकार किया।

अतः पी०डब्लू०–3 का साक्ष्य भी अभियोजन के समर्थन में नहीं है।

सामूहिक साक्ष्य का मूल्यांकन

उपरोक्त समस्त साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन के सभी प्रमुख साक्षी पी०डब्लू०–1, पी०डब्लू०–2 एवं पी०डब्लू०–3 अपने पूर्व कथनों से मुकर गये हैं तथा न्यायालय में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। सभी साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

अभियोजन द्वारा तथ्य के तीन साक्षी परीक्षित कराये गये है। अभियोजन के औपचारिक साक्ष्य का बचाव पक्ष द्वारा सत्यता स्वीकार किये जाने पर दिनांक 24.12.2025 को अभियोजन द्वारा अपनी गवाही समाप्त करने का पृष्ठांकन आदेशपत्र पर किया है। वादी मुकदमा द्वारा पी० डब्लू० 1 मुनेश कंसल, पी० डब्लू० 2 रिंकू कंसल व पी० डब्लू० 3 पंकज कंसल द्वारा पक्षद्रोही होकर बयान दर्ज

कराये है। पी० डब्लू० 1 द्वारा तहरीर को साबित किया है परन्तु साबित होने के बाद मुख्य परीक्षा में ही यह कथन किया है कि तहरीर मुझे लिखने वालो ने पढकर नहीं सुनायी थी और अभियुक्त अजय चौधरी द्वारा घटना कारित करने से साफ इंकार किया है।

पी० डब्लू० 2 रिंकू कंसल वादी मुकदमा का भतीजा है, के द्वारा भी अभियुक्तगण को न पहचानने का कथन अपनी मुख्य परीक्षा में किया गया है और पी० डब्लू० 3 वादी मुकदमा के भाई ने भी पक्षद्रोही होकर साक्ष्य अंकित कराया है। पी० डब्लू० 3 के बयान से यह पता चलता है कि आरोपपत्र में सूची गवाहान में अंकित जयभगवान जोकि साक्षी पी० डब्लू० 2 के पिता है,की मृत्यु हो चुकी है क्योकि उसने अपने बयान में स्व० जयभगवान अंकित कराया है। इसके अलावा आरोपपत्र में तथ्य का कोई अन्य साक्षी नहीं है। तहरीर का समर्थन किसी साक्ष्य से नहीं होता है और विधि का सुस्थापित नियम के अनुसार एफ आई आर के आधार पर सजा नहीं की जा सकती। एफ आई आर की भूमिका केवल सुस्थापित विधिनुसार समर्थन के लिये किया जा सकता है। यह सजा का आधार नहीं हो सकता है। अन्य कोई साक्ष्य पत्रावली पर न होने के कारण अभियुक्त पर आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित नहीं होता है।

अभियोजन पक्ष कोई स्वतंत्र, ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है जिससे अभियुक्तगण की संलिप्तता संदेह से परे सिद्ध हो सके।

निष्कर्ष

उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि दिनांक 25.10.2022 को अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ मारपीट, तोड़–फोड़, फायरिंग अथवा जान से मारने की धमकी दी गयी।

अतः अवधार्य बिंदु सं०–1 का निस्तारण अभियोजन के विरुद्ध किया जाता है।

17– समस्त तथ्य एवं साक्ष्य के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

1– दाण्डिक वाद सं0–592/2023 मु.अ.सं.–711/2022 थाना–मोदीनगर, गाजियाबाद में अभियुक्तगण अजय चौधरी, गौरव, शुभम, सेन्सरपाल, प्रेमवीर सिंह, अंकित उर्फ कालू, चमन सिंह एवं रोबिन के विरुद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा– 147, 148, 307/149, 427, 504, 506 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है।

2– अभियुक्तगण अजय चौधरी, गौरव, शुभम, सेन्सरपाल, प्रेमवीर सिंह, अंकित उर्फ कालू, चमन सिंह एवं रोबिन जमानत पर हैं। उनके प्रतिभूगण व बंध–पत्र, निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

3– अभियुक्त अजय चौधरी, गौरव, शुभम, सेन्सरपाल, प्रेमवीर सिंह, अंकित उर्फ कालू, चमन सिंह एवं रोबिन को आदेशित किया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–437A के अन्तर्गत 1,00,000/–रू0 का व्यक्तिगत बंध पत्र व 50000/–, 50000/– धनराशि के दो जमानती/प्रतिभू इस आशय का निष्पादित/प्रस्तुत करे कि किसी माननीय उच्चतर न्यायालय में इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या याचिका के संबंध में नोटिस जारी होने पर अभियुक्त ऐसे माननीय उच्चतर न्यायालय के समक्ष उपसंजात होगा। अभियुक्त को धारा–437A द0प्र0सं0 के अनुपालन में जमानत दाखिल करने के लिये एक सप्ताह का समय दिया जाता है।

4– निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को प्रेषित की जाये।

5– निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

6– सम्बन्धित विवेचक के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश की प्रति पुलिस आयुक्त,गाजियाबाद को प्रेषित की जाये।

दिनांक 19.03.2026

(सौरभ गोयल)
JO Code: 2757
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(पॉक्सो एक्ट),कोर्ट सं01,गाजियाबाद।

6– उपर्युक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, सुनाया गया।

दिनांक 19.03.2026

(सौरभ गोयल)
JO Code: 2757
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(पॉक्सो एक्ट),कोर्ट सं01,गाजियाबाद।